92

संख्याः– 172/XVIII(II)/2016–20(09)/2015

प्रेषक,

जे0पी0 जोशी,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव
   उत्तराखण्ड शासन
2. समस्त जिलाधिकारी,
   उत्तराखण्ड

राजस्व अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांक 04 फरवरी, 2016

विषयः– भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा–24(1)(क) के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण/दिशा–निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और परादर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा–24(1) में यह व्यवस्था है कि यदि किसी प्रकरण में भू–अर्जन की कार्यवाही भू–अर्जन अधिनियम, 1894 के अन्तर्गत प्रारम्भ की गयी थी और उक्त अधिनियम की धारा–11 के अन्तर्गत दि0–01.01.2014 से पूर्व एवार्ड की घोषणा की गयी है, वहां इस नये अधिनियम, 2013 के प्रतिकर का अवधारण किये जाने से सम्बन्धित सभी उपबन्ध लागू होंगे और यदि धारा–11 के अधीन अभिनिर्णय की घोषणा कर दी गयी है, वहां ऐसी कार्यवाहियॉ भू–अर्जन अधिनियम, 1894 के उपबन्धों के अधीन उसी प्रकार जारी रहेंगी, मानो उक्त अधिनियम निरसित ही न किया गया हो।

2– उक्त नये अधिनियम की संगत धारा–24(1)(क) के संबंध में निम्न स्पष्टीकरण/दिशा–निर्देश प्रतिपादित किये जा रहे हैंः–

(1) भू–अर्जन के ऐसे प्रकरण जिनमें भू–अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा–4 की अधिसूचना जारी नहीं हुई है, किन्तु 10 प्रतिशत प्रतिकर व 10 प्रतिशत अर्जन व्यय की धनराशि संबंधित लेखाशीर्षक में जमा करायी जा चुकी है। ऐसे प्रकरणों में धारा 4 की अधिसूचना के प्रकाशन के दिनांक को भू–अर्जन अधिनियम, 1894 के अंतर्गत भू–अर्जन की कार्यवाही का प्रारम्भ माना जायेगा। जिन मामलों में धारा–4 की अधिसूचना जारी नहीं हुई है। उनमें भले ही 10 प्रतिशत प्रतिकर और 10 प्रतिशत अर्जन व्यय जमा कर दिया गया हो, उन सभी मामलों में सभी कार्यवाहियां व्यपगत मानी जायेगी। बल्कि वर्ष 2013 के नये अधिनियम के अनुसार सम्पूर्ण कार्यवाही पुनः नये सिरे से प्रारम्भ की जा सकेगी।

(2) भू–अर्जन के ऐसे प्रकरण जिनमें भू–अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा–4 की अधिसूचना जारी हो गयी है। उनमें 1894 के अधिनियम के अनुसार विहित प्रक्रिया द्वारा भूमि अर्जन की कार्यवाही पूरी की जायेगी किन्तु प्रतिकर का अवधारण नये अधिनियम, 2013 (धारा–26 से 30 सपठित प्रथम अनुसूची) के प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा।

अनुरोध है कि कृपया उपरोक्तानुसार सभी संबंधित को अवगत कराते हुए तद्नुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(जे0पी0जोशी)
अपर सचिव।

पृ0सं0– 172/XVIII(II)/2016–20(09)/2015, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– मण्डलायुक्त, कुमायूँ/गढ़वाल।
3– महाप्रबन्धक, एस.जे.वी.एन. लि0, देवसारी हाइड्रो इलैक्ट्रिक प्रोजेक्ट (252 मेगावाट) थराली, जनपद चमोली।
4– निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड, सचिवालय परिसर, देहरादून।
5– प्रभारी मीडिया केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
6– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

Alok

(आलोक कुमार सिंह)
अनुसचिव।